राजधानी में विषाक्त सर्प फार्म स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता

1430. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रैंडस इंटरनेशनल (इंडिया) के नियन्त्रणाधीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये सरकार को राजधानी में विषाक्त सर्प फार्म स्थापित करने की योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त परिषद् ने, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये सरकार से वित्तीय सहायता की भी मांग की है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने विषाक्त सर्प रखे जायेंगे ; और

(घ) इसमें प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत सरकार को ऐसे कोई सुझाव नहीं मिले हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली स्थित कर्जन होस्टल और पटौदी गेस्ट हाउस में भोजन तथा आवास गृह

1431. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित कर्जन होस्टल के 'एफ' ब्लाक और पटौदी गेस्ट हाउस में ठहरने वाले व्यक्तियों के लिए भोजन और आवास शुल्क तथा इस मद के अन्तर्गत अन्य व्यय का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है ;

(ख) कर्जन होस्टल के 'एफ' ब्लाक और पटौदी हाउस में आवास किराया तथा भोजन आदि का दैनिक शुल्क क्या है ;

(ग) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत केवल आवास किराया ही लिया जायेगा तथा भोजन का शुल्क देना अनिवार्य नहीं होगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) कर्जन रोड होस्टल के 'एफ' ब्लाक में कुल 126 'सूट' (कमरों के सेट) हैं । इन "सूटों" में रसोई की सुविधा नहीं हैं । 30 'सूट' दौरा करने वाले अधिकारियों को आवंटन के लिये आरक्षित रखे गये हैं । जिन अधिकारियों को ये सूट आवंटित किये जाते हैं उनके लिये भोजन अनिवार्य है । शेष सूट नियमित आधार पर अधिकारियों को आवंटित किये जाते हैं और उन द्वारा आहार-प्रबन्धक से केवल नाश्ता लेना ही और उसके लिये आहार-प्रबन्धक को सीधे 1.50 रुपये प्रति देना ही अपेक्षित है ।

पटौदी हाउस में राज्य अतिथि गृह (स्टेट गैस्ट हाउस) के दो भाग हैं, अर्थात् मुख्य भवन तथा साथ के हटमेंटस् । मुख्य भवन में 'सूट्स' राज्य के अतिथियों के लिये उद्दिष्ट हैं और उन्हें आहार-प्रबन्धक से भोजन अनिवार्य तौर पर लेना पड़ता है । साथ के हटमेंटस् नियमित आधार पर आवंटित किये गये हैं और प्रत्येक हटमेंटस् में केवल एक व्यक्ति को आहार-प्रबन्धक से भोजन लेना होता है ।

(ख) कर्जन रोड होस्टल के "एफ" ब्लाक में तथा 'गैस्ट हाउस' (पटौदी हाउस) में वास के लिये